r>**Title:** Regarding filing appeal in Supreme Court against stay order of Calcutta High Court on calling of army by CBI for making arrest of the then Chief Minister of Bihar.

12.02 hrs.

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने इससे पहले एक सवाल उठाया गया था । सम्मानित सदस्य आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अरैस्ट करने के लिए सी.बी. आई. ने इंडियन आर्मी की मदद लेने की कोशिश की थी । इस बारे में इंडियन आर्मी को खत भी लिखा गया था । भारत सरकार ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी शुरू की थी । कोर्ट का फैसला आने के बाद इस सदन में अनुरोध किया गया था कि लीगल ओपिनियन लेकर १२ अगस्त से पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की आवश्यकता है । संसदीय कार्य मंत्री ने इस सदन में कहा था कि कानूनी राय लेकर इस सदन को सूचित किया जाएगा । कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय पर डा. विश्वास के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने से संबंधित केस के बारे में कानूनी राय उपलब्ध होनी बाकी है । नियमानुसार उच्चतम न्यायालय में अपील १२ अगस्त, १९९८ तक की जा सकती है । सरकार इस मामले में कानूनी राय उपलब्ध होते ही जल्दी से जल्दी निर्णय लें । जहां तक हमारी मालूमात है, इस बारे में कानूनी राय आई है और अपील करने का उन्होंने समर्थन किया है । १२ अगस्त नजदीक आने वाली है । भारत सरकार को इस विषय में जल्दी कदम उठाने चाहिए । अगर मिनिस्टर साहब सरकार की सही परिस्थिति को सदन के सामने रखेंगें तो हमें मदद मिलेगी ।

">SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR) : Sir, let us say something why we are concerned about it... (Interruptions)

On the last occasion, when it was discussed on the floor of the House, we emphasised the importance of the principle involved, not the personality so much. Unfortunately, the over-emphasis on the personality involved is giving a wrong impression of the whole situation. But the principal question which is involved here is whether a civilian authority - and an investigating authority for that matter - without any constitutional or legal power, can summon the Military and whether a judicial authority like a High Court Judge can give supposed overall permission empowering the investigating authority to call the Army.

The use of the Army in a democratic country is left to very well-chosen, well-defined and well-identified people. Anybody and everybody cannot take recourse to the Army. The Army is an institution. Specially, we are very happy and proud of the Indian Army. We have been saying for a very long time that it should not be utilised for purposes for which it is not meant. It is for defending us. We have very excellent and laudable examples when the Army people have come forward to help in cases of natural calamities and natural disasters.

The whole country has appreciated their effrots. Therefore, it is a matter of great concern and principle whether this can be done. Now, unfortunately, this question has become involved with the disciplinary proceedings. The Calcutta High Court has given a judgment on which this aspect has not been noted fully. With all respects to the Judges of the Calcutta High Court, just a casual observation has been made as if he has got the authority to call the Army. Therefore, it is neat and proper that the highest Court of this country, the apex court should give its considered view on this matter. unless the Government takes it, there is no other party to these proceedings. Unless the Government takes it to the Supreme Court, it will have no occasion to deal with this question. The Government said that they are taking the opinion. I think, they are taking the opinion of the Attorney-General. I do not know whether they like the views of the Attorney-General on this or of somebody else. Whatever we have come to know-- I do not know whether it is right or wrong-- that shows that the Attorney-General's opinion is to go in for an appeal. If that is so, it is the duty of the Government to accept that opinion or at least take the House into confidence about the Government's understanding of this situation. Do they permit for narrow political purposes, to prop up this outfit that they will ignore a very serious issue or a matter of principle ? If that is so, then it will be a very sad day.

I am requesting the Government to please try to dissociate from the question of personalities involved and take this as a matter of high importance and principle. The Government, in any event, should have responded to our request on appeal. It is absolutely essential that the matter be tested. Last time, our former Home Minister Shri Gupta had made certain submissions. They still remain extremely important even today. therefore, I request the Government to take a very positive decision on what is happening.

">

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को मजबूर होकर क्वश्चन आवर में यह सवाल उठाना पड़ा था इसका कारण यह है कि सरकार द्वारा इस मामले में अपील करने की अंतिम तारीख १२ अगस्त है । इस संबंध में मैंने व्यक्तिगत रूप से संबंधित अधिकारी या संबंधित मिनिस्टर से मिलकर कोशिश की और अनुरोध किया । लेकिन उन्होने अभी तक अपील नहीं की है । इसी कारण क्वाश्चन आवर में बाधा डालने के लिए आपके सामने मजबूर होना पड़ा ताकि आप हमें न्याय दे सकें । आपसे निवेदन है कि आप इस बात को अन्यथा न लें । वैसे नेता विरोधी दल श्री शरद पवार और श्री सोमनाथ चटर्जी ने विस्तार से सारी बातें बता दी हैं । चूंकि यह श्री लालू यादव से संबंधित मामला है, हो सकता है कि इस वजह से लोगों द्रारा कोई अपील नहीं होगी । अब सत्र के २-३ दिन रह गये हैं इसलिए हम आपसे न्याय चाहते हैं और हमें उम्मीद भी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इससे श्री लालू यादव का सवाल नहीं परन्तु मेरे व्यक्तिगत अनुरोध के बावजूद अपील करने को तैयार नहीं है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कानूनी राय लेने के बारे में बताया था और वह राय ले ली गई है । हमें पक्का पता है और रिपोर्ट मिल रही है कि अटार्नी जनरल ने अपनी राय को दे दी है कि इस मामले में अपील होनी चाहिये । परन्तु सरकार अपील नहीं कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सेना का सवाल है, जब हम डिफेंस मिनिस्टर थे तभी यह सवाल हमारे सामने आया था लेकिन ऐसे मामलों में कभी किसी की गिरफ्तारी के लिये सेना नहीं जा सकती । श्री चटर्जी ने भी इस सच्चाई का उल्लेख किया है । न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि सारे विश्व में हमारी सेना ने सम्मानपूर्वक कार्य किया है और मानवाधिकारों का ध्यान रखा है । मानवता की रक्षा के लिये सेना कभी पीछे नहीं हटी है और मानवता का पूरा पालन किया है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारी आपसे अपील है कि आप सरकार पर यह दवाब डालें कि वह १२ अगस्त से पहले अपील करने के लिये आज यहां घोषणा करे ।....(

Interruptions)

SHRI TAPAN SIKDAR (DUMDUM) : It has been justified by the High Court of Calcutta...(Interruptions)

MR.SPEAKER : The Minister is giving a reply, please.

....(Interruptions)

SHRI SATYA PAL JAIN (CHANDIGARH) : Sir, you should allow Members from this side also. It should not be from only one side...(Interruptions)

">

"> श्री चन्द्रशेखर (बलिया) (उ.प्र.): अध्यक्ष जी, जिस समय यह घटना हुई थी, सारे देश में इसकी चर्चा हुई थी और उस चर्चा में अधिकांश लोगो ने कहा था कि सी.बी.आई अपनी सीमा के बाहर गई है । यह भी बात सही है कि उस समय सेना के अधिकारियों ने उनकी मांग को मानना अस्वीकार कर दिया था । यह भी सही है जो कहा गया कि पटना हाई कोर्ट ने उनको कोई ऐसा निदेश दिया था कि सेना बुलाई जाए । वह बुला सकते हैं, इसको भी सेना के लोगों ने अस्वीकार किया था । ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट था कि सी.बी.आई. के एक व्यक्ति ने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया । मैं नहीं जानता कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्णय क्या है । उस निर्णय के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन यह प्रश्न ज्यादा मौलिक है जिसका जिक्र अभी सोमनाथ चटर्जी ने किया । अगर पुलिस के लोग सेना बुलाने का काम करने लगेगे तो इस देश का सारा ढांचा ही टूट जाएगा । सेना बुलाने के लिए बहुत से तरीके है । वहां पर मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री नही बुला रहे थे तो वहां राज्यपाल जी है । यहां पर डिफेन्स मिनिस्टर थे, यहां पर होम मिनिस्ट्री थी। ऐसे साधन थे जिनके जरिये उस काम को किया जा सकता था, लेकिन किसी पुलिस अधिकारी का सीधे सेना के पास पहुचना अक्षम्य अपराध है । मैं नही जानता किस आधार पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि उनको इस बात के लिए सजा नही मिलनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मै आपसे निवेदन करूगा कि कुछ लोगो के प्रति मारी जो भी भावना हो, उस भावना को देखते हुए हम संविधान पर कुठाराचात न होने दे और सभी अधिकारियो और सभी लोगो को, चाहे वे राजनीतिक नेता हो, चाहे अधिकारी हो, उनको संविधान की सीमाओ के अंदर काम करने के लिए बाध्य करे और अगर ऐसी कोई विकृति आई है तो उसके लिए उच्चतम न्यायलय का निर्णय लेना आवश्यक है और मुझे विश्वास है कि हमारे मंत्री, हमारे मित्र श्री खुराना जी इस संबंध में छोटी बातो से ऊपर उठकर मोलिक सवाल के ऊपर बात करेगें ।

">SHRI SATYA PAL JAIN : Sir, there are two issues involved. One is, as Shri Chandra Shekhar has rightly pointed out, whether the military should have been called ornot. It is a debatable issue. There can be two different opinions on that.

There is a second issue, of filing an appeal. Daily in different High Courts, decisions are given where the Government of India is a party.

MR. SPEAKER : Now, the Minister is ready to give a reply. Please conclude now.

....(Interruptions)

SHRI SATYA PAL JAIN : Sir, I am concluding.

Then we have to file an appeal. After the decision of the High Court, the case goes tothe Attorney-General or the Solicitor-General. He gives his opinion. Till date, the information given by Shri Mulayam Singh Yadav or the Leader of the Opposition, to my information and knowledtge, is not correct. Till date, the Attorney-General or the Solicitor-General has not given his opinion....(Interruptions)....Let me speak.....(Interruptions)

MR. SPEAKER : The Minister is present here. What is that?

....(Interruptions)

MR. SPEAKER : The Minister is present here. What is this?

....(Interruptions)

SHRI SATYA PAL JAIN : He should not pressurise whether the appeal has to be filed or not. The decision should be taken on merits. Shri Chandra Shekhar has said that the military should not have been called'. But why does he not say this also that 'if the arrest warrants are issued against a Chief Minister, why should not the Chief Minister go and surrender peacefully? Why should he await an arrest?...(Interruptions)....These are also the important issues to be taken note of.

">

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ जो हमारे मित्रों ने कही है कि "> **there is no political motive.** यह प्योरली लीगल मैटर है जो मिलिट्री के बारे में कहा । इस समय जो हम यहां तय करने जा रहे हैं, **this is purely a legal matter.** हाई कोर्ट के आदेश के बारे में अपील करें या नहीं, मुद्दा यह है । और जो आपने कहा है, मेरी जानकारी के अनुसार अटार्नी जनरल की राय अभी नहीं आई है ।

....(व्यवधान)

श्री बलराम सिंह यादव (मैनपुरी) : आप रिपोर्ट लीजिए ।

....(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Please take your seat, let him complete.

श्री मदन लाल खुराना : मेरी जानकारी के अनुसार अटार्नी जनरल ने अभी राय नहीं दी है । उनका राय आने के बाद सरकार फैसला करेगी । मुझे यह मालूम है कि इसकी अपील करने की आखिरी तारीख १२ अगस्त है, यह सरकार जानती है । उसके पहले-पहले ही हम निश्चित रूप से राय लेकर, लीगल ओपिनियन के अनुसार जो भी फैसला होगा, वह सरकार करेगी । प्योरली पोलिटीकल मोटिव के आधार पर नहीं करेगी ।..(व्यवधान)

">

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी थोड़े ही दिन पहले सदन में एक अत्यंत अशोभनीय और अभद्र घटना हुई । जिससे कुछ सदस्यों ने मिलकर अध्यक्ष महोदय का अपमान किया

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Please go back to your seats....(Interruptions) You please go to your seats first. I am asking you to please go back to your seats. What is this? All the time you are disturbing the House. I am appealing to youtogo back to your seats. Please go to your seats.

....(Interruptions)

MR. SPEAKER : Please go back to your seats.

....(Interruptions)

MR. SPEAKER : Thisis not good. Please go back to your seats.

....(Interruptions)

MR. SPEAKER : Is this the way to behave in the House?

....(Interruptions)

श्री कृष्ण लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद वे धमकियां दे रहे हैं कि हम हाउस को नहीं चलने देंगे ।

....(व्यवधान)

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, ये पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, ऐसी धमकियों से क्या पार्लियामेंट नहीं चलेगी । महोदय इनको सदन से निष्कासित कर दिया जाए ।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Do you want to stall the proceedings of the House?

.....(Interruptions)

MR. SPEAKER : Is this the way to behave ?

....(Interruptions)

MR. SPEAKER : Please go back to your seats

12.22 hrs

At this stage, Shri Surendra Prasad Yadav (Jhanjharpur) and some other hon. Members went back to their seats

श्री कृष्ण लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अब यह आपको और सदन को तय करना है कि यदि ये माननीय सदस्य इसी प्रकार से बार-बार वैल में आ जाएंगे, तो सदन की कार्यवाही किस प्रकार से चलाई जाएगी । मैं माननीय सदस्यों के विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस प्रकार से बार-बार सदन के वैल में आकर कार्यवाही रोकने का प्रयास न करें । यदि वे इसी प्रकार से मनमानी करेंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे ।

MR.SPEAKER : Hon. Members, please take your seats. I have allowed Shri Sharma to speak.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER : Shri Mulayam Singh Yadav, I have allowed Shri Sharma to speak. After he finishes, I will allow you to speak.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक तरीके से बिल पारित किया जाता है । इंट्रोडेक्शन के समय इनको आपत्ति करने की छूट है । उसके बाद जब बिल पारित होने की प्रक्रिया से गुजरे तब उसका ये विरोध कर सकते हैं संशोधन दे सकते हैं, सब कुछ हो सकता है । लेकिन खुले आम यह धमकी देना कि यदि हमारी इच्छा के अनुकूल बिल नहीं लाया गया, तो हम सदन को चलने नहीं देंगे, यह ठीक नहीं हैं । हम अपनी आजादी का स्वर्ण जयन्ती वर्ष मना रहे हैं । इस वर्ष में हम सदन की गरिमा को बचाने के लिए और सदन में जो बातें हमने कही है और माफी मांगी है, उस पर हमें कायम रहना चाहिए और उससे मुकरना नहीं चाहिए ताकि रोज रोज ऐसी अशोभनीय घटनाएं न घटें ।

....(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एक मामूली सी बात है, जहां तक वैल में आने की बात है, हम उसे अच्छा नही मानते है ।

....(व्यवधान)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE) : Sir, I have given a notice to raise a very urgent matter. (Interruptions) I want to know what happened to my notice. Much of the time of the House is taken up by senior Members like Shri Lalu Prasad and Shri Mulayam Singh Yadav. (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, लेकिन ऐसा करने पर हमें मजबूर कौन कर रहा है, यह भी देखे। एक बात बता दे कि एक दिन में, दो में या तीन दिन में कानूनी राय लेकर आप अपना डिसीजन कल या परसो तक दे दें। खुराना जी, आप मुख्य मंत्री रहे है, हम लोग भी सरकार में रहे है, हमें मालूम है कि यदि कानूनी राय ली जानी है, तो एक घंटे में कानूनी राय ली जा सकती है। इसलिए आप हमें कल तक बता दीजिए कि राय लेनी है या नही। यदि आप हमें नही बतायगों, तो हमारी मजबूरी होगी।..(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष महोदय,

मैं एक बात स्पष्ट कर दूं ।

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, ये हमको अनुशासनहीन कह रहे हैं । जो खुद अनुशासन तोड़ते हैं वे दूसरों को क्या अनुशासन सिखायेंगे । इनको सदन से निष्कासित करना चाहिए ।

....(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Shri Mohan Singh, the hon. Minister is giving a reply.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER : Shri Mohan Singh, please sit down. The hon. Minister is giving a reply. Please listen to him.

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, जैसा माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं रक्षा मंत्री रहा हूं और मैं भी लीगल एडवाइज लेता रहा हूं और यदि लीगल एडवाइज लेना चाहे तो वह एक घंटे में ली जा सकती है । मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मुलायम सिंह जी जैसी लीगल एडवाइज तो हम नहीं लेंगे । जो लीगल एडवाइज हम लेंगे, वह नियमों के अनुसार होगी, ताकि कल को कोई सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ न जा सके ।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम १२ तारीख से पहले राय लेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि १२ तारीख लॅस्ट डेट है । हम किसी लीडर आदमी के कहने पर कि आज ही दो, अभी दो,

...(व्यवधान)

यह हम नहीं करेंगे, मेरा यह कहना है ।

...(व्यवधान)